



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 658 राँची, गुरुवार,

17 अक्टूबर, 2024 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

8 अक्टूबर, 2024

संख्या-ख०नि०(विविध)-57/2024-1937--कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 में प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप तथा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के O.M No.-43022/1/2020-LAIR, दिनांक-22.04.2022 के द्वारा Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 के तहत निर्गत अधिग्रहित भूमि के उपयोग हेतु मार्गदर्शक नीति की समीक्षा/पुनर्समीक्षा कर राज्य सरकार का मंतव्य/विचार गठित कर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने हेतु एक समिति का गठन निम्न रूपेण किया जाता है:-

(i)	मुख्य सचिव, झारखण्ड	:-	अध्यक्ष
(ii)	महाधिवक्ता, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची	:-	सदस्य
(iii)	विकास आयुक्त, झारखण्ड	:-	सदस्य
(iv)	विधि सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्य
(v)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्य
(vi)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्य
(vii)	सरकार के सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्य
(viii)	सरकार के सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्य

2- उक्त समिति अपने मंतव्य/विचार खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार को उपलब्ध करायेगी एवं प्राप्त मंतव्य/विचार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अनुसंशा प्राप्त करते हुए राज्य सरकार का मंतव्यविचार को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार सिंह
सरकार के सचिव ।
